कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0)

//आदेश//

क्रमांक/ 01 /एक/11/03/सां./2010 अशोकनगर, दिनांक 07-01-25

मैं, पी0 सी0 आर्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0) मध्य प्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट 1958(19 ऑफ 1958) की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 214, 422 और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अधिक्रमित (सुपरसीड) करते हुये सिविल जिला अशोकनगर में पदस्थ समस्त न्यायाधीशगणों/न्यायालयों के बीच सिविल कार्य एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों के बीच दांडिक कार्य का वितरण/विभाजन एवं क्षेत्राधिकार निम्नानुसार घोषित करता हूं, यह आदेश, आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा, परन्तु इस कार्य विभाजन आदेश के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीश के पास लंबित हैं या प्रस्तुत हुये हैं, उन पर न्यायिक/प्रशासकीय आदेश से अन्यथा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
1.	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर**	**व्यवहार जिला, अशोकनगर**	1. समस्त सत्र प्रकरण 2. समस्त आपराधिक अपील। 3. समस्त आपराधिक पुनरीक्षिण। 4 तहसील अशोकनगर, शाढ़ौरा, ईसागढ एवं नईसरांय के पुलिस थाने एवं चौकीयों से उत्पन्न समस्त आवेदन पत्र अतंर्गत धारा 482,483 भा.न. सु.स. 2023 5. धारा 448 एवं 449 भा.न.सु.स. 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन। 6. बाल अधिकार आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 25 के अन्तर्गत बालकों के विरूद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों से संबंधित समस्त प्रकरण। 7. समस्त दोष मुक्ति/दोष सिद्धि के विरूद्ध अपील निगरानी, जो मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी /न्यायिक दण्डाधिकारीगण अशोकनगर द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों के विरूद्ध। 8. ऐसे समस्त प्रकरण, जो संबंधित अधि0 के प्रावधानों के अनुसार सत्र न्यायाधीश द्वारा विशेष न्यायाधीश के रूप में सुनवाई योग्य हों। 9. किशोर न्यायालय बोर्ड अशोकनगर से उत्पन्न आदेश व निर्णयों के विरूद्ध अपील।

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
		तहसील अशोकनगर, ईसागढ,शाढौरा, नईसरांय	10. जिला अशोकनगर के कन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका की सीमाओं एवं जिला मुख्यालय अशोकनगर की तहसील की सीमाओं को छोड़कर तहसील ईसागढ़, शाढ़ौरा एवं नईसरायं की सीमाओं से उद्भूत भा. विवाह विच्छेद अधि. 1980, हि. विवाह अधि. 1955, गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंतर्गत संरक्षककर्ता एवं प्रतिपाल अधि. 1890 के अंतर्गत प्रकरण। 11. क्रमांक 1 से 10 तक संबंधित मामलों से उत्पन्न विविध प्रकरण। 12. व्यवहारवाद, जो दस करोड़ एक रूपये से अधिक किसी भी मूल्य तक के मय दिवालिया प्रकरणों के। 13. तहसील मुंगावली/चन्देरी से उत्पन्न व्यवहारवाद, जिनका मूल्य दस करोड़ एक रू. से अधिक किसी भी मूल्य तक के, मय दिवालिया प्रकरणों के। 14. संपूर्ण व्यवहार जिला अशोकनगर से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अतंर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोबेट एक लाख रूपये से अधिक। 15. विशेष अधिनियम जैसे एगमार्क अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अधीन प्रस्तुत प्रकरण। 16. न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, प्र.व्य.न्याया वरिष्ठ खण्ड के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अति.व्यवहार न्याया. वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर, द्वि. व्यव0 न्याया. वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर व प्र.व्य.न्याया. कनिष्ठ खण्ड,अशोकनगर, द्वि.व्य.न्या कनिष्ठ खण्ड, एवं तृतीय व्यव0 न्याया0 कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर एवं चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्टम्/सप्तम/अष्टम् अति0 न्यायाधीश, अशोकनगर द्वारा निराकृत व्यवहार वादों, विविधि वादों, निष्पादन वादों में पारित निर्णय एवं जय पत्र आदेशों के विरूद्ध नियमित अपील एवं विविध अपीले। 17. म.प्र न्यास अधि.के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण। 18. व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत आवेदन पत्र। 19. न्यायालय ग्राम न्यायालय अशोकनगर/चन्देरी से उत्पन्न आदेश, निर्णय व विविध आदेश के विरूद्ध

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			अपील व रिवीजन।
			20. कमर्शियल मामले/माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, संपूर्ण जिला अशोकनगर।
			21. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखने वाले मामले।
			22. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 से संबंधित अपील संपूर्ण अशोकनगर जिला।
			23. सिविल जिला अशोकनगर की स्थानीय सीमाए से उत्पन्न होने वाले अनुतोष अधिनियम 1963 (1963 का 47) की धारा 20(ख) अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग एवं दावो का विचारण।
			24. क्रमांक 12 लगायत 23 में उल्लेखित प्रकरणों से उत्पन्न विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन प्रकरण
			25. अन्य समस्त प्रकरण, जो इस विभाजन पत्रक में सम्मिलित नही है, लेकिन प्रधान जिला न्यायाधीश अशोकनगर के सुनवाई योग्य हो।
	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर की हैसियत से पदस्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अशोकनगर		25. तहसील अशोकनगर, ईसागढ़, शाढ़ौरा, नईसरांय के थाना क्षेत्रों एवं पुलिस चौकियों से उत्पन्न मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति के प्रकरणों व उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 165(2) के संशोधन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले क्लेम प्रकरण एवं प्रवर्तन एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के ज्ञापन कं0 बी/5503 दिनांक 02.08.2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कं0 9322 (विशेष अनुमति याचिका कं0 32448/2018 से उत्पन्न) गौहर मोहम्मद वि0 उ0प्र0 राजय रोड़ परिवहन कॉ0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 के पालन में मोटर वाहन संशोधन नियम, 2022 के आलोक में प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट एवं अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट की सुनवाई।
2.	**प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर**	**सत्रखण्ड अशोकनगर**	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण,आप.अपील, आप. पुनरीक्षिण, विविध आप. प्रकरण सौंपे जावेंगे।
			2. न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले विविध प्रकरण समस्त।
			3. तहसील अशोकनगर, ईसागढ़, शाढ़ौरा एवं नईसरांय से उत्पन्न एक करोड़ एक रू. से दस करोड़ रूपये तक के व्यवहारवाद, मय दिवालिया प्रकरण।

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			4. अन्य सभी प्रकार के साम्पत्तिक प्रकरण जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जावेंगे।
			5. भू–अर्जन संबंधी प्रकरण।
			6. लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत 500 से अधिक एवं 1000 रू. तक के प्रकरण।
			7. मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधि.के अंतर्गत भाडा नियंत्रक अधिकारी एवं न.पा. विधान के अतंर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपीले।
			8. तह.अशोकनगर, ईसागढ, शाढौरा एवं नईसरांय से उत्पन्न भा.उत्तराधिकार अधि0 के अंतर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोवेट संबंधी प्रकरण 1 लाख रू. की सीमा तक।
			9. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सत्रखण्ड अशोकनगर में उदभूत होने वाले समस्त विशेष सत्र प्रकरण, जो विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हैं।
			10. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त विशेष सत्र प्रकरण।
			11. मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें, तह. अशोकनगर, ईसागढ, शाढौरा एवं नईसरांय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न।
			12. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरित किये जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा संबंधी क्लेम प्रकरण।
			13. प्रथम/चतुर्थ जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) एवं प्रथम/द्वितीय/अति0 जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर एवं प्रथम/द्वितीय जिला एवं सत्र अति0 न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अति0 न्यायाधीश का न्यायालय रिक्त होने की दशा में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश (दीवानी/फौजदारी) जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने से उनका निराकरण करेंगे तथा उनके न्यायालय से उत्पन्न विविध व्यवहारवाद/निष्पादन वाद का भी विधिवत निराकरण करेंगे तथा निराकृत दीवानी एवं क्लेंम प्रकरणों से उत्पन्न सभी समस्त प्रकरणों का विधिवत निराकरण करेगे।
			14. **<u>तहसील अशोकनगर, ईसागढ शाढौरा एवं नईसरांय के थाना क्षेत्रों एवं पुलिस चौकियो से उत्पन्न विधुत अधिनियम, 2003 से उद्भूत होने वाले ऐसे समस्त विशेष सत्र प्रकरण जो विशेष</u>**

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।
			15. उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहारवाद एवं अन्य प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण।
			16. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के ज्ञापन कं बी/630 दिनांक 13.09.2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) कं0 754/2016 तहसीन एस0 पूनावाला वि0 भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 के पालन में तहसील अशोकनगर, शाढ़ौरा, ईसागढ एवं नईसरांय से उत्पन्न "लिंचिग एवं मॉब वायलेंस" से संबंधित प्रकरण।
			17. न्यायालय द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय से व्यवहार प्रकरण प्रत्याहरण किये जाने के फलस्वरूप उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहारवाद एवं अन्य प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त विविध कार्यवाहिया एवं प्रवर्तन प्रकरण।
3.	**द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर**	**सत्रखण्ड अशोकनगर**	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण, आप.अपील, आप. पुनरीक्षिण, विविध आप. प्रकरण सौपे जावेगें।
			2. संपूर्ण जिला अशोकनगर से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। **(एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट न्यायालय में दोनो अधिनियमों अर्थात पॉक्सो एक्ट एवं एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत दर्ज किये गये प्रकरणों को छोडकर)**
			3. न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले विविध प्रकरण समस्त।
			4. राजस्व जिला अशोकनगर से उद्भूत अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिये अधिनियम, 2019 (2019 का 21) के मामले।
			5. उक्त न्यायालय द्वारा उपरोक्त सरल कं0 01 लगायत 04 से निराकृत एवं उद्भूत होने वाले समस्त विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण।
			6. अन्य सभी प्रकार के साम्पत्तिक प्रकरण जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जावेंगे।
4.	**प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्याया., अशोकनगर के न्याया. के प्रथम**	–	रिक्त न्यायालय

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
	अति. न्याया.		
5	प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश		1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण,आप.अपील, आप. पुनरीक्षिण, विविध आप. प्रकरण सौपे जावेगें। 2. मुख्यालय अशोकनगर क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त प्रकरण। 3. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर ज्ञापन कं0 डी/1869 जबलपुर दिनांक 18.06.2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय आपराधिक अपील संख्या 5189/2020 प्रमोद यादव वि0 म0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2021 के अनुपालन में संपूर्ण जिला अशोकनगर से उत्पन्न होने वाले **एस0एसी0/एस0टी0 एक्ट न्यायालय के वे मामले जिनमें दोनो अधिनियमों अर्थात पॉक्सो एक्ट एवं एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।** 4 तहसील अशोकनगर, शाढ़ौरा, नईसरायं एवं ईसागढ़ से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध जैसे रेप, गैंगरेप, रेप विथ मर्डर एवं उससे संबंधित समस्त अपराध। 5. न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले समस्त विविध प्रकरण।
6	प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के तृतीय अति. न्यायाधीश		1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण,आप.अपील, आप. पुनरीक्षिण, विविध आप. प्रकरण सौपे जावेगें। 2. अन्य सभी प्रकार के साम्पत्तिक प्रकरण जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जावेंगे। 3. **एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अतंर्गत संपूर्ण जिला अशोकनगर से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।** 4. म0प्र0 शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना फा0कं0 1976/21–ब(एक)/2024 भोपाल, दिनांक 08.05.2024 के अनुपालन में **नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेन्सी एक्ट, 2008 अंतर्गत दर्ज होने वाले प्रकरण।** 5. अपमिश्रित औषधियों या नकली औषधियों से संबंधित अपराधों के मामलों में विचारण करने हेतु जो उक्त अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (क) तथा (ख), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खण्ड (क) तथा (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख तथा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			(ख) के अधीन दण्डनीय है, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सत्र प्रकरण।
			6. उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत आपराधिक एवं व्यवहारवाद तथा अन्य प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण
7.	**प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश मुंगावली**	**सत्रखण्ड अशोकनगर तहसील मुंगावली**	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपीलें। 3. आपराधिक पुनरीक्षण। 4. तहसील मुंगावली एवं पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) के पुलिस थाने एवं चौकियों से उत्पन्न प्रतिभूति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482,483 भा.न. सु.स. 2023 प्रस्तुत होने पर उनका निराकरण। 5. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखने वाले मामले। 6. समस्त दोष मुक्ति/दोष सिद्धि के विरूद्ध अपील /निगरानी जो मुंगावली स्थित न्यायिक दण्डाधिकारीगण के न्यायालयों एवं अनु.दंडाधिकारी मुंगावली द्वारा पारित निर्णय, दंडादेश एवं आदेश के विरूद्ध अपील, पुनरीक्षण प्राप्त होने पर उनमें स्थगन बावत विचार किया जावेगा। तत्पश्चात् पंजीयन हेतु सत्र न्याया.अ/नगर में प्रस्तुत किया जावेगा, तदोपरांत सत्र न्याया. के आदेशानुसार उनमें आगामी कार्यवाही की जावेगी। 7. रूपये एक करोड़ एक रूपये से दस करोड़ रूपये तक के मुंगावली एवं पिपरई तहसील क्षेत्र से उत्पन्न व्यवहार वाद। 8. भू–अर्जन संबंधी प्रकरण। 9. लघुवाद अधि0 के अंतर्गत पॉच सौ रू. से अधिक एक हजार रू. तक के प्रकरण। 10. भा.विवाह विच्छेद अधि1980 के अंतर्गत एवं हि. विवाह अधि0 1955 के अंतर्गत प्रकरण। 11. गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट 1890 के अंतर्गत संरक्षककर्ता एवं प्रतिपाल अधि0 1890 के अधीन प्रकरण। 12. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अतंर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोवेट संबंधी प्रकरण 1 लाख रू. की सीमा तक। 13. म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधि0 के अंतर्गत भाडा नियंत्रक अधिकारी एवं नगरपालिका विधान के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील। 14. तहसील मुंगावली एवं पिपरई के नगरपालिका अधि0 के अंतर्गत आधिकारिता क्षेत्र रखने वाले

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			मामले एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें, तहसील मुंगावली एवं पिपरई क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न।
			15. अन्य सभी प्रकार के ऐसे साम्पत्तिक प्रकरण, जिन्हें समय–समय पर जिला न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित किया जावेगा।
			16. अति0/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड मुंगावली के न्यायालयों द्वारा व्यवहारवादों में पारित, निर्णय, जयपत्रों के विरूद्ध अपीले एवं आदेशों के विरूद्ध नियमित एवं विविध अपीले।
			17. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त विशेष सत्र प्रकरण।
			18. मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधि.के अंतर्गत भाडा नियंत्रक अधिकारी एवं न.पा विधान के अतंर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपीले।
			19. **विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 क अधिनियम क्रं. –36) के अन्तर्गत तहसील मुंगावली एवं पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) से उद्भूत होने वाले ऐसे प्रकरण, जो विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।**
			20. **तहसील मुंगावली एवं पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) से उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त प्रकरण।**
			21. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के ज्ञापन क्रं बी/630 दिनांक 13.09.2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्रं0 754/2016 तहसीन एस0 पूनावाला वि0 भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 17.07. 2018 के पालन में तहसील मुंगावली एवं पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) से उत्पन्न "लिंचिग एवं मॉव वायलेंस" से संबंधित प्रकरण।
			22. क्रमांक 1 लगायत 21 से संबंधित प्रकरणों से उत्पन्न विविध आपराधिक एवं व्यवहार प्रकरणों की सुनवाई।
			23. पूर्व में तहसील न्यायालय मुंगावली में नियमित प्रथम/अति0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक जो तहसील मुंगावली के क्षेत्राधिकार से उद्भूत प्रकरणों की सुनवाई की गई है अथवा न्यायालय रिक्त होने की दशा में (सत्र प्रकरण/आपराधिक अपील /आपराधिक पुनरीक्षण /सिविल

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			प्रकरण/ भू–अर्जन /मोटरदावा अधिकरण/ लघुवाद), व अन्य प्रकरण जो अपील न्यायालय से रिमांड पर पुनः सुनवाई होने हेतु वापिस होने की दशा में एवं उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं इजरा प्रकरण की विधिवत सुनवाई कर निराकरण करेंगे।
	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुंगावली	**तहसील मुंगावली**	24. तहसील मुंगावली एवं पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) के थाना क्षेत्रों एवं पुलिस चौकियों से उत्पन्न मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण, विविध प्रकरण एवं मोटर यान अधि0 1988 की धारा 165(2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तुत होने वाले क्लेम प्रकरण एवं प्रवर्तन एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के ज्ञापन कं0 बी/5503 दिनांक 02.08.2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कं0 9322 (विशेष अनुमति याचिका कं0 32448/2018 से उत्पन्न) गौहर मोहम्मद वि0 उ0प्र0 राजय रोड़ परिवहन कॉ0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 के पालन में मोटर वाहन संशोधन नियम, 2022 के आलोक में प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट एवं अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट की सुनवाई।
8.	**द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, मुंगावली**	—	रिक्त न्यायालय
9.	**जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, चंदेरी**	**सत्रखण्ड अशोकनगर तहसील चंदेरी**	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपीलें। 3. आपराधिक पुनरीक्षण। 4. तहसील चंदेरी एवं पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक) के पुलिस थाने एवं चौकियों से उत्पन्न प्रतिभूति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482,483 भा.न. सु.स. 2023 प्रस्तुत होने पर उनका निराकरण। 5. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखने वाले मामले। 6. समस्त दोष मुक्ति/दोष सिद्धि के विरूद्ध अपील /निगरानी जो चंदेरी स्थित न्यायिक दण्डाधिकारीगण के न्यायालयों एवं अनु.दंडाधिकारी चंदेरी द्वारा पारित निर्णय, दंडादेश एवं आदेश के विरूद्ध अपील, पुनरीक्षण प्राप्त होने पर उनमें स्थगन बावत विचार किया जावेगा। तत्पश्चात् पंजीयन हेतु सत्र न्याया. अ/नगर में प्रस्तुत किया जावेगा, तदोपरांत सत्र न्याया. के आदेशानुसार उनमें आगामी कार्यवाही की जावेगी। 7. रूपये एक करोड़ एक रूपये से दस करोड़ रूपये तक के चंदेरी तहसील क्षेत्र से उत्पन्न व्यवहार

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			वाद।
			8. भू–अर्जन संबंधी प्रकरण।
			9. लघुवाद अधि0 के अंतर्गत पॉच सौ रू. से अधिक एक हजार रू. तक के प्रकरण।
			10. भा.विवाह विच्छेद अधि1980 के अंतर्गत एवं हि. विवाह अधि0 1955 के अंतर्गत प्रकरण।
			11. गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट 1890 के अंतर्गत संरक्षककर्ता एवं प्रतिपाल अधि0 1890 के अधीन प्रकरण।
			12. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अतंर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोवेट संबंधी प्रकरण 1 लाख रू. की सीमा तक।
			13. म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधि0 के अंतर्गत भाडा नियंत्रक अधिकारी एवं नगरपालिका विधान के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील।
			14. तहसील चंदेरी के नगरपालिका अधि0 के अंतर्गत आधिकारिता क्षेत्र रखने वाले मामले एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें, तहसील चंदेरी क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न।
			15. अन्य सभी प्रकार के ऐसे साम्पत्तिक प्रकरण, जिन्हें समय–समय पर जिला न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित किया जावेगा।
			16. अति0/व्यवहार न्यायाधीश व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड चंदेरी के न्यायालयों द्वारा व्यवहारवादों में पारित, निर्णय, जयपत्रों के विरूद्ध अपीले एवं आदेशों के विरूद्ध नियमित एवं विविध अपीले।
			17. **<u>विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 क अधिनियम क्रं. –36) के अन्तर्गत चंदेरी एवं पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक) से उद्भूत होने वाले ऐसे प्रकरण, जो विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।</u>**
			18. **<u>तहसील चंदेरी एवं पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक) से उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त प्रकरण।</u>**
			19. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के ज्ञापन क्रं बी/630 दिनांक 13.09.2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्रं0 754/2016 तहसीन एस0 पूनावाला वि0 भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 17.07. 2018 के पालन में तहसील चंदेरी एवं पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक) से उत्पन्न

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			"लिंचिग एवं मॉव वायलेंस" से संबंधित प्रकरण।
			20. क्रमांक 1 लगायत 19 से संबंधित प्रकरणों से उत्पन्न विविध आपराधिक एवं व्यवहार प्रकरणों की सुनवाई।
			21. मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधि.के अंतर्गत भाडा नियंत्रक अधिकारी एवं न.पा विधान के अतंर्गत पारित आदेष के विरूद्ध अपीले।
			22. पूर्व में तहसील न्यायालय मुंगावली में नियमित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जिनमें तहसील चंदेरी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत प्रकरणों की सुनवाई की गई है अथवा तहसील चंदेरी से संबंधित प्रकरण जो न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उक्त दशा में भी (सत्र प्रकरण/आपराधिक अपील /आपराधिक पुनरीक्षण /सिविल प्रकरण/ भू–अर्जन /मोटरदावा अधिकरण/लघुवाद), व अन्य प्रकरण जो अपील न्यायालय से रिमांड पर पुनः सुनवाई होने हेतु वापिस होने की दशा में एवं उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं इजरा प्रकरण की विधिवत सुनवाई कर निराकरण करेंगे।
	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, चंदेरी	तहसील चंदेरी	23. तहसील चंदेरी एवं पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक) के थाना क्षेत्रों एवं पुलिस चौकियों से उत्पन्न मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण, विविध प्रकरण एवं मोटर यान अधि0 1988 की धारा 165(2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तुत होने वाले क्लेम प्रकरण एवं प्रवर्तन एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के ज्ञापन कं0 बी/5503 दिनांक 02.08.2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कं0 9322 (विशेष अनुमति याचिका कं0 32448/2018 से उत्पन्न) गौहर मोहम्मद वि0 उ0प्र0 राजय रोड़ परिवहन कॉ0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 के पालन में मोटर वाहन संशोधन नियम, 2022 के आलोक में प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट एवं अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट की सुनवाई।
10.	प्रथम व्यवहार न्याया. वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर		1. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्धारा समय–समय पर अंतरित किये जावेगे।
11.	द्वितीय व्यव0 न्याया0 वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	अशोकनगर	1. व्यवहारवाद, जिनका मूल्याकंन पांच लाख एक रू से एक करोड़ रूपये तक, मय दिवालिया प्रकरण। 2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्धारा समय–समय पर अंतरित किये जावेगे।

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			3. लघुवाद अधि. के अंतर्गत पॉच सौ रूपये तक के प्रकरण।
			4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत अपीले।
			5. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधि0 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			6. भारतीय उत्तराधिकार अधि.के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।
			7. कं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन।
			8. मुख्यालय अशोकनगर के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।
12.	**तृतीय व्यव0 न्याया0 वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर**		रिक्त न्यायालय
13.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के तृतीय अति. न्यायाधीश,**	**शाढ़ौरा, ईसागढ़**	1. व्यवहारवाद, जिनका मूल्याकंन पांच लाख एक रू से एक करोड़ रूपये तक, मय दिवालिया प्रकरण के।
			2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जावेगे।
			3. लघुवाद अधि. के अंतर्गत पॉच सौ रूपये तक के प्रकरण।
			4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत अपीले।
			5. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधि0 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			6. भारतीय उत्तराधिकार अधि.के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।
			7. कं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन।
14.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर**	**नईसरायं**	1. व्यवहारवाद, जिनका मूल्याकंन पांच लाख एक रू से एक करोड़ रूपये तक, मय दिवालिया प्रकरण के।

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
	के चतुर्थ अति. न्यायाधीश,		2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जावेगे।
			3. लघुवाद अधि. के अंतर्गत पॉच सौ रूपये तक के प्रकरण।
			4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत अपीले।
			5. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधि0 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			6. भारतीय उत्तराधिकार अधि.के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।
			7. क्रं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन।
15.	प्रथम व्या0 न्याया0 कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	अशोकनगर	1. व्यवहारवाद जिनका मूल्याकंन रूपये एक रू. से पांच लाख रूपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण।
			2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जावेंगे।
			3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रं0 01 एवं 02 से उत्पन्न होने पर।
16.	द्वितीय व्या0 न्याया0 कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	शाढ़ौरा	1. व्यवहारवाद जिनका मूल्याकंन रूपये एक रू. से पांच लाख रूपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण।
			2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जावेंगे।
			3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रं0 01 एवं 02 से उत्पन्न होने पर।
17.	तृतीय व्या0 न्याया0 कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	—	रिक्त न्यायालय
18.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अशोकनगर के प्रथम अति. न्यायाधीश	नईसरायं	1. व्यवहारवाद जिनका मूल्याकंन रूपये एक रू. से पांच लाख रूपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण।
			2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जावेंगे।
			3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रं0 01 एवं 02 से उत्पन्न होने पर।
			4. मुख्यालय अशोकनगर के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों द्वारा तहसील ईसागढ़ की सीमा के क्षेत्राधिकार के छोड़कर तहसील अशोकनगर, शाढ़ौरा एवं नईसरायं की सीमा से उद्भूत प्रकरणों में पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के तहसील अशोकनगर, शाढ़ौरा एवं नईसरायं के क्षेत्राधिकार से संबंधित सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।
19.	व्यवहार न्याया0 वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली	तहसील मुंगावली एवं पिपरई	1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन पांच लाख एक रूपये से एक करोड़ रूपये तक, मय दीवालिया प्रकरण। 2. तहसील पिपरई में मध्य प्रदेष नगरपालिका अधि. के अधीन प्रस्तुत अपीले। 3. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधि0 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण। 5. लघुवाद अधि. के अंतर्गत एक से पॉच सौ रू. तक के प्रकरण। 6. ऐसे साम्पत्तिक प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जावेगे। 7. तहसील मुंगावली एवं पिपरई के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे। 8. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम कमांक 1 लगायत 7 से उत्पन्न होने पर।
20.	प्रथम व्य0 न्याया0 कनिष्ठ खण्ड खण्ड, मुंगावली	—	
21.	द्वितीय व्य0 न्याया0 कनिष्ठ खण्ड खण्ड, मुंगावली	तहसील मुंगावली	1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन एक रू. से पांच लाख तक, मय दीवालिया प्रकरण 2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–2 पर अंतरित किये जावेंगे।

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक,दो से उत्पन्न होने पर।
			4. तहसील मुंगावली (तहसील मुंगावली के क्षेत्राधिकार तक) के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।
22.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मुंगावली	तहसील पिपरई एवं बहादुरपुर	1. व्यवहारवाद जिनका मूल्याकंन रूपये एक से पांच लाख रूपये तक हैं, मय दीवालिया प्रकरण के।
			2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–2 पर अंतरित किये जावेंगे।
			3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक,दो से उत्पन्न होने पर।
			4. तहसील मुंगावली (तहसील पिपरई एवं बहादुरपुर के क्षेत्राधिकार तक) के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।
23.	व्या0 न्याया0 वरिष्ठ खण्ड चंदेरी	तहसील चंदेरी	1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन पांच लाख एक रूपये से एक करोड़ रूपये तक, मय दीवालिया प्रकरण।
			2. तहसील चंदेरी में मध्य प्रदेष नगरपालिका अधि. के अधीन प्रस्तुत अपीले।
			3. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधि0 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।
			5. लघुवाद अधि. के अंतर्गत एक से पॉच सौ रू. तक के प्रकरण।
			6. ऐसे साम्पत्तिक प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीष द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जावेगे।
			7. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम कमांक 1 लगायत 6 से उत्पन्न होने पर।

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			8. तहसील चंदेरी के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।
24.	**प्रथम व्य0 न्याया0 कनिष्ठ खण्ड, चंदेरी**	**तहसील चंदेरी**	1. व्यवहारवाद जिनका मूल्याकंन रूपये एक से पांच लाख रूपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण के। 2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–2 पर अंतरित किये जावेंगे। 3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक,दो से उत्पन्न होने पर। 4. तहसील चंदेरी के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।
25.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चंदेरी**	—	रिक्त न्यायालय
26.	**व्य0 न्याया0, कनिष्ठ खण्ड, ईसागढ़**	**तहसील ईसागढ़**	1. व्यवहारवाद जिनका मूल्याकंन रूपये एक से पांच लाख रूपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण क। 2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जावेंगे। 3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रं0 01 एवं 02 से उत्पन्न होने पर। 4. मुख्यालय अशोकनगर के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय जिनके द्वारा तहसील ईसागढ़ के क्षेत्राधिकार से उद्भूत प्रकरणों में निर्णय/आदेश पारित किये गये हैं, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के तहसील ईसागढ़ के क्षेत्राधिकार से संबंधित सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
27.	न्या0 ग्राम न्यायालय अशोकनगर,	जनपद पंचायत अशोकनगर,	1. व्यवहार प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के वह सुनवाई करेंगे। 2. उपरोक्त से उत्पन्न विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन।
28.	न्या0 ग्राम न्यायालय, चंदेरी	जनपद पंचायत, चंदेरी	1. व्यवहार प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के वह सुनवाई करेंगे। 2. उपरोक्त से उत्पन्न विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन।

नोट :–

1. न्यायाधीशगणों के अवकाश/ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश अवधि व अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की दशा में या न्यायालय रिक्त होन की दशा में न्यायाधीशगण का न्यायिक कार्य विभाजन पत्रक के साथ संलग्न अनुलग्न–"ए" अनुसार न्यायाधीशगण न्यायालय का कार्य एवं अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करेंगे।

Sd–
(पी0सी0 आर्य)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म0प्र0)

पृ0 कमांक....12..../एक–11–03/सां0/2010 अशोकनगर दिनांक 7-1-25

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
2. श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 खंडपीठ ग्वालियर।
3. प्रथम/द्वितीय/अति0 जिला न्यायाधीश, अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी।
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी/ईसागढ़।
5. जिला रजिस्ट्रार, अशोकनगर।
6. कलेक्टर, अशोकनगर।
7. पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर।
8. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी/ईसागढ़ की ओर सूचनार्थ।
9. प्रशासनिक अधिकारी/उप–प्रशासनिक अधिकारी
10. प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, अशोकनगर।

7/01/25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म0प्र0)